न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 01/2016 (अपील नामा.)
GCMS NO : 2015/00020

अनवान

1. श्री जितेन्द्र पिता मनोहरलाल सनाढ्य, निवासी विस्मा, तहसील गोगुन्दा, उदयपुर (राज.)

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सरोज पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पत्नी नन्द किशोर सनाढ्य, निवासी छापरी पोस्ट जीतीया, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ (राज.)
2. श्रीमती शारदा पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पत्नी सुभाष सनाढ्य, निवासी वाटिका मार्ग, सरस्वती स्कूल के सामने, कुराबड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती प्रभा पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पत्नी रमेश चन्द्र सनाढ्य, निवासी शीतला माता मन्दिर के सामने, कोठारीया, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती पूर्णिमा पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पत्नी मदन सनाढ्य, निवासी 29, लक्ष्मी मार्ग, अमल का काटा, उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मीना पुत्री स्वर्गीय जगन्नाथ पत्नी दिनेश सनाढ्य, निवासी 38, गरबा चौक, छोटी ब्रह्मपुरी, उदयपुर (राज.)
6. सुश्री योगिता पुत्री मनोहरलाल सनाढ्य, निवासी 180, गणेश कॉलोनी, रावजी का हाटा, उदयपुर (राज.)
7. श्री मनोज पिता मनोहरलाल सनाढ्य, निवासी 180, गणेश कॉलोनी, रावजी का हाटा, उदयपुर (राज.)
8. श्री विष्णुदत्त पिता केवलराम सनाढ्य, निवासी कुम्भा नगर, गायरीयावास, देवरी के सामने, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री नीरज पिता विष्णुदत्त सनाढ्य, निवासी कुम्भा नगर, गायरीयावास, देवरी के सामने, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री अजय पिता विष्णुदत्त सनाढ्य, निवासी कुम्भा नगर, गायरीयावास, देवरी के सामने, तितरडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती चंचल पुत्री विष्णुदत्त सनाढ्य पत्नी दिनेश जोशी, निवासी गोदाणा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री शंकर सनाढ्य पिता छोटूलाल सनाढ्य, निवासी 1298, शंकरदीप भवन, एम.बी. कॉलेज के सामने, कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (राज.)
13. सुश्री नन्दीनी अल्पवयस्क जरिये बविलायत पिता शंकर सनाढ्य, निवासी 1298, शंकरदीप भवन, एम.बी. कॉलेज के सामने, कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर (राज.)

— रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित

1. श्री मनिष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 एवं 8 से 10

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं.500 न्यायालय उपतहसीलदार सायरा आदेश दिनांक 16.01.2013

*** निर्णय ***

दिनांक – 26-11-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 500 उपतहसीलदार सायरा दिनांक 16.01.2013 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा विस्मा, उपतहसील सायरा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर में श्री जगन्नाथ पिता पेपलाल उर्फ फतहलाल ब्राह्मण के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित थी, जिनका स्वर्गवास दिनांक 28.12.2012 को हो चुका है। श्री जगन्नाथ द्वारा सम्पादित अपना अंतिम इच्छा पत्र जो, दिनांक 22.02.2006 को निष्पादित किया गया था एवं अंतिम इच्छा मनोज पिता मनोहरलाल एवं अपीलान्ट जितेन्द्र पिता मनोहरलाल दोनो के पक्ष में सम्पादित की गयी। ऐसी स्थिति में उनके स्वर्गवास उपरान्त अपीलान्ट एवं मनोज पिता मनोहरलाल के पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाना चाहिये था, किन्तु बिना अपीलान्ट एवं उसके भाई को सूचित किये गुप्त रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 13 के नाम नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 16.01.2013 पटवारी हल्का द्वारा खोल दिया गया, जबकि नामान्तरकरण खोलने से पूर्व उपतहसीलदार सायरा का यह दायित्व था की वह मृतक श्री जगन्नाथ पिता पेपलाल उर्फ फतहलाल ब्राह्मण के समस्त विधिक प्रतिनिधियों को सूचना देकर सुनते एवं सुनने के बाद नामान्तरकरण की कार्यवाही करते। उक्त भूमि पर अपीलान्ट एवं उसके भाई श्री जगन्नाथ की अंतिम इच्छा अनुसार 1/2–1/2 भूमि पर काबिज है। मृतक श्री जगन्नाथ द्वारा अपीलान्ट एवं उसके भाई के पक्ष में जारी अंतिम इच्छा पत्र दिनांक 22.02.2006 एक पंजीकृत दस्तावेज है, जिसके आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोला जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 16.01.2013 निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 8 से 10 की ओर से श्री संजय बोहरा, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 6, 7 एवं 11 से 13 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 8 से 10 के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुये अपने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मृतक श्री जगन्नाथ का स्वर्गवास दिनांक 28.12.2012 को होना, दिनांक

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

22.02.2006 को जगन्नाथ जी द्वारा अपना अंतिम इच्छा पत्र अपीलान्ट एवं उसके भाई के पक्ष में लिखा जाना, उपतहसीलदार सायरा द्वारा खोला गया नामान्तरकरण संख्या 500 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 13 के पक्ष में खोला जाना, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान न करना अवगत कराया गया एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त करने की मांग की। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियेः–

- आर.आर.टी. 2016–17 पृष्ठ 181
- आर.आर.टी. 2003(1) पृष्ठ 359
- आर.आर.टी. 2015(2) पृष्ठ 1434
- आर.आर.टी. 2002(2) पृष्ठ 786

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 8 से 10 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुये अनुरोध किया कि मृतक श्री जगन्नाथ के स्वर्गवास के उपरान्त नियमानुसार भूमि का उपतहसीलदार सायरा द्वारा नामान्तरकरण विधिक वारिसान के नाम पर स्वीकृत किया गया है। विवादग्रस्त भूमि श्री जगन्नाथ की मौरूसी जायदाद है एवं उनके द्वारा कभी भी किसी के पक्ष में अंतिम इच्छा पत्र नही लिखा गया है। अपीलान्ट द्वारा फर्जी व्यक्ति खड़ा कर अपने पक्ष में फर्जी वसीयत बनवाई गयी है। अपीलान्ट चाहे तो सिविल न्यायालय में दावा कर इसे सही साबित कराने की कार्यवाही कर सकते है। जैसा की आर.बी.जे. 2014 पृष्ठ 86 पर तय किया गया है एवं इसी बिन्दु को आर.बी.जे. 2015 पृष्ठ 412 पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने तय किया है। इस प्रकार वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नही है एवं यदि अपीलान्ट वसीयत के आधार पर कोई क्लेम करना चाहता है, तो वह सिविल न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर दाद प्राप्त कर सकता है। अपीलान्ट मनोहरलाल का पुत्र एवं मृतक जगन्नाथ का पौता है एवं अपनी भुआओं के हक को समाप्त करने के लिये मौरूसी सम्पत्ति की जानबुझकर के अपने दादा के नाम की फर्जी वसीयत बनाई गयी है। जो गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण ऐसे नामान्तरकरण के विरूद्ध साक्ष्य में रूप में ग्राह्य नही की जा सकती है। उक्त वसीयत जब तक साबित नही हो जाती तब तक नामान्तरकरण की कार्यवाही का कोई अधिकार अपीलान्ट का नही है। मृतक जगन्नाथ के वारिसान ने सम्पत कुंवर के हक में विक्रय पत्र निरस्ती का वाद जिला न्यायाधीश, उदयपुर में प्रस्तुत किया है, जो ट्रान्सफर होकर अपर जिला न्यायाधीश नम्बर–5, उदयपुर में चल रहा है, जिसके मुकदमा संख्या 25/2016 है। अपीलान्ट के समस्त अधिकार उस वाद में ही निर्णित होने है एवं नामान्तरकरण सही है अथवा नही, अंतिम तौर से सिविल न्यायालय के आदेश से ही सिद्ध होगा। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से सव्यय खारिज की जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैः–

- आर.बी.जे. 2010 पृष्ठ 289
- आर.आर.टी. 2013 (2) पृष्ठ 887
- सी.टी. 2010 (2) पृष्ठ 462

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

- आर.आर.टी. 2017 (1) पृष्ठ 711
- आर.आर.टी. 2014 (1) पृष्ठ 196
- आर.आर.डी. 2008 पृष्ठ 186
- आर.आर.डी 2017 पृष्ठ 525
- आर.बी.टी 2006 पृष्ठ 366
- आर.बी.टी. 2009 पृष्ठ 428

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 व 8 से 10 के जवाब, नामान्तरकरण संख्या 500 की प्रति, न्यायिक दृष्टांत आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। हस्तगत प्रकरण मे मुख्य विवाद प्राकृतिक विरासत एवं वसीयती विरासत के मध्य हैं। प्राकृतिक विरासत के आधार पर मृतक श्री जगन्नाथ के वारिसान के पक्ष मे अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सायरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 16.01.2013 के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त नामान्तरकरण को इस न्यायालय मे चुनौती दी हैं। नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 16.01.2013 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री जगन्नाथ पिता पेपलाल ब्राह्मण का स्वर्गवास हो जाने से पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर उपतहसीलदार सायरा द्वारा दिनांक 16.01.2013 को मनोज, जितेन्द्र, योगिता पिता मनोहरलाल 1/7, सुमित्रा, सरोज, शारदा, प्रभा, पूर्णिमा, मीना पिता जगन्नाथ 6/7 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। नामान्तरकरण पर उपलब्ध सजरे के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्ट मृतक श्री जगन्नाथ पिता पेपलाल ब्राह्मण का पौत्र है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ जगन्नाथ पिता पेपलाल ब्राह्मण का वसीयतनामा (इच्छा पत्र) की प्रति संलग्न की है, जो दिनांक 22.02.2006 को उप–पंजीयक उदयपुर, द्वितीय कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मृतक श्री जगन्नाथ की मृत्यु के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सायरा विरासत का नामान्तरकरण पारित करने हेतु सक्षम था। नामान्तरकरण खोलते समय या उससे पूर्व अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही कोई वसीयत के आधार पर अपना हक/अधिकार प्रस्तुत किया गया एवं ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2016–2017 पृष्ठ 181 की प्रति प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 39 मे वसीयती उत्तराधिकार का प्रावधान है, जिसके तहत उसकी मृत्यु के पश्चात् वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जाएगा तथा यदि वह निर्वसीयत था तो अधिनियम की धारा 40 के तहत प्राकृतिक वारिसान के आधार पर नामान्तरकरण किया जाएगा। अपीलान्ट अधिवक्ता का उक्त कथन सही है, किन्तु वसीयत होना वसीयत दस्तावजेत के अस्तित्व को साबित कर सकता है, उसकी सद्भाविकता को नही। जब किसी वसीयत से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है, तो ऐसी वसीयत को प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा माना

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested

जाता है, जिसे सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का हैं, जैसा कि आर.आर.टी 2014(1) पृष्ठ 197–201 पर निष्पादित हैं। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमे वसीयत जैसे जटिल बिंदु को तय नहीं किया जा सकता है एवं वसीयत को भारतीय उतराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत साबित करना होता है, जो सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद के माध्यम से ही तय हो सकता है, जैसा कि आर.आर.ड़ी 2017 पृष्ठ 526 पर वर्णित हैं। वसीयत के रजिस्टर्ड होने के आधार संदेह दूर होने योग्य नही हैं। उक्त बिन्दु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है, जैसा कि आर.आर.टी. 2009–10 पृष्ठ 61 पर वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण अपीलान्ट द्वारा उक्त वर्णित सम्पत्ति मृतक की मौरूसी सम्पत्ति थी, अथवा स्वअर्जित इस बाबत अपनी अपील मे कोई उल्लेख नहीं किया हैं। प्राकृतिक वारिसान के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण के उपरान्त किये गये विक्रय से संबंधित विक्रय पत्र को निरस्त कराने हेतु अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय मे चुनौती दी गई है। ऐसी स्थिति मे समग्र तथ्यो पर विवेचन के आधार पर उक्त वसीयत को सिद्ध कराना प्रथम दृष्ट्या आवश्यक प्रतीत होता हैं। रेस्पोडेन्ट्स सं 1 से 5 व 8 से 10 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण मे चस्पा होने से अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सायरा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 16.01.2013 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.12.21 11:28:47 IST
Reason: SelfAttested